<u>मेयर-इन कौसिंल संकल्प क्रमांक. 01 दिनांक. 7/04/2012</u>

गत सभा दिनांक 22/2/2012 के कार्यवृत की पुष्टि की जाती है।

क्रमांक.................... दिनांक.............................

प्रतिलिपीः-

1- आयुक्त
2- रेसीडेन्ट आडिट
3- सूचना एवं प्रोद्यौगिकी अधिकारी,न.पा.नि. इंदौर
4- लोक सूचना अधिकारी,न.पा.नि. इंदौर

की जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव
नगर पालिक निगम,इंदौर

पंजीयन क्रमाक 01

<u>मेयर–इन कौसिंल संकल्प क्रमांक 02 दिनांक 07–04–2012</u>

पालिका प्लाजा की छत पर ट्रेफिक मैनेजमेंट सिस्टम हेतु ऐंटिना लगाने की अनुमति के संबंध में आयुक्त का पत्र क्र. 29 दिनांक 05–04–2012 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र में दर्शाई गई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में शासकीय विभाग यातायात पुलिस को एम.टी.एच कम्पाउण्ड स्थित यातायात थाने को पुलिस कंट्रोल रुम से जोडने हेतु पालिका प्लाजा की बिल्डिंग की छत पर ट्रेफिक मेनेजमेंट सिस्टम की स्थापना हेतु एक रेडियों एंटिना निःशुल्क लगाने की अनुमति दी जाती है।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौसिंल
नगर पालिक निगम,इन्दौर

क्रमांक 1–4
दिनांक 13.4.12

प्रतिलिपीः–

1. आयुक्त।
2. रेसीडेन्ट आडिट।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर।
4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर।

की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

पंजीयन क्रमांक 02

<u>मेयर–इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 03 दिनांक 07–04–2012</u>

इन्दौर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित नर्मदा परियोजना के अन्तर्गत नवीन पाईप लाईन डालने/पुरानी पाईप लाईन बदलने/लीकेज सुधार कार्य/इंटरकनेक्शन कार्य हेतु सीमेंट कांक्रीट रोड काटने के कार्य की वार्षिक दरों की स्वीकृति के संबंध में आयुक्त का पत्र क्र. 1859 दिनांक 05–04–2012 पर जलकार्य विभाग की राय दिनांक 05–04–12 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरांत आयुक्त के पत्र में दर्शायी स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य की वार्षिक दर निर्धारण हेतु दिनांक 20–03–2012 को प्राप्त 03 निविदाओं में विभिन्न कार्यो हेतु अनुलग्न सूची में उल्लेखित अनुसार न्युनतम प्राप्त दरों (वार्षिक दर) पर कार्य कराने की स्वीकृति निगम परिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद में से होगा।

3. निविदा की शर्तानुसार स्वीकृत वार्षिक दरों में वर्षभर विभाग में पंजीकृत एवं भविष्य में पंजीकृत होने वाले ठेकेदारों/फर्म से कार्य संपादित कराया जा सकेगा।

4. यह स्वीकृत दरे आगामी वार्षिक दरों की स्वीकृति होने तक लागू रहेगी।

पुष्टि हेतु प्रकरण निगम परिषद के समक्ष रख जावें।
आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

(ह) कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौसिंल
नगर पालिक निगम, इन्दौर

क्रमांक 05–08
दिनांक 13.4.12

प्रतिलिपीः–

1. आयुक्त।
2. रेसीडेन्ट आडिट।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर।
4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर।

की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

पंजीयन क्रमांक 03

मेयर–इन–कौंसिल संकल्प क्रमांक 04 दिनांक 07–04–2012

प्रोजेक्ट उदय के अंतर्गत पैकेज आई.एन.डी./डब्ल्यू.एस./14 लाट–3 'ग्रुप–ए से एच तक' – शहर में पुरानी व नई फीडरमेन के इन्टरकनेक्शन कार्य करने के संबंध में आयुक्त के पत्र क्र. 1321 दिनांक 05.04.2012 पर प्रभारी जलकार्य विभाग की राय दिनांक 05–04–2012 पर विचार किया गया।

2. आयुक्त के पत्र में उल्लेखित अनुसार सदर कार्य हेतु निविदा का यह पंचम आंमत्रण हैं। प्रथम आंमत्रण दो ग्रुप में बनाकर आमंत्रित की गई, जिसमें किसी भी निविदाकार/फर्म द्वारा भाग नहीं लिया जाने से पुनः निविदा आंमत्रित की गई। द्वितीय आंमत्रण में भी दो ग्रुप में निविदा आमंत्रित की गई, जिसमें प्राप्त दरें अधिक होने से समझोतावार्ता का सुझााव दिया गया। समझोतावार्ता नियत अवधि में नहीं होने से निविदा निरस्त कर पुनः आंमत्रित की गई। तृतीय आंमत्रण में चार ग्रुप में बनाकर निविदा आमंत्रित की गई, जिसमें में किसी भी निविदाकार/फर्म द्वारा भाग नहीं लिया गया। निविदा पुनः आंमत्रित की गई। चतुर्थ आंमत्रण में भी चार ग्रुप में निविदा आमंत्रित की गई, जिसमें एक फर्म द्वारा भाग लिया गया जो तकनीकी रूप से नॉनरिस्पान्सिव होने से निविदि पुनः आंमत्रित की गई।

3. पंचम आंमत्रण में आठ ग्रुप में बनाकर निविदा आमंत्रित की गई जिसमें एक निविदाकार द्वारा मात्र चार ग्रुप में भाग लिया गया। ए.डी.बी. के फैक्स दिनांक 29.02.2012 तथा परियोजना संचालक भोपाल के पत्र क्र. 606 दिनांक 03.03.2012 द्वारा फर्म को किसी भी एकल ग्रुप अथवा चार मे से किन्ही भी दो ग्रुप के काम्बीनेशन हेतु उपयुक्त पाया गया।

4. निविदाकार मैसर्स जैन एण्ड राय कन्सट्रक्शन कं. ग्वालियर जेवी विथ सुनित इन्टरप्राईजेस, इन्दौर द्वारा ग्रुप– जी हेतु रू. 67,11,037.60 (सड़सठ लाख ग्यारह हजार सैतीस रूपये एवं साठ पैसे मात्र) एवं ग्रुप–एच हेतु रू. 52,17,768.80 (बावन लाख सत्रह हजार सात सो अड़सठ रूपये एवं अस्सी पैसे मात्र) की दरे प्रस्तुत की गई है। यह दरें प्रोविजनल सम रू.8.00 लाख सहित है। इस प्रकरण का प्राथमिक परीक्षण परियोजना संचालक, प्रोजेक्ट–उदय, भोपाल स्तर पर किया गया तथा नियमानुसार उपयुक्त पाया गया।

5. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में वर्तमान परिपेक्ष्य में कार्य की महत्ता को देखते हुए ग्रुप जी व एच अंतर्गत कार्य कराया जाना आवश्यक होने से सदर कार्य हेतु न्युनतम निविदाकार मैसर्स जैन एण्ड राय कन्सट्रक्शन कं. ग्वालियर जेवी विथ सुनित इन्टरप्राईजेस, इन्दौर द्वारा निविदा में ऑफ–लाईन भाग लिया की निविदा प्रोविजनल सम (रू. 8.00 लाख) सहित राशि ग्रुप– जी हेतु रू. 67,11,037.60 (सड़सठ लाख ग्यारह हजार सैतीस रूपये एवं साठ पैसे मात्र) एवं ग्रुप–एच हेतु प्रोविजनल सम (रू. 8.00 लाख) सहित राशि रू. 52,17,768.80 (बावन लाख सत्रह हजार सात सो अड़सठ रूपये एवं अस्सी पैसे मात्र) की न्युनतम दरों को स्वीकृत करते हुए वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जाती है। आयुक्त नगर पालिक निगम को अनुबंध संपादित कर योग्य कार्यवाही करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

6. म.प्र. शासन के असाधारण राजपत्र दिनांक 16 दिसम्बर 2005 द्वारा महापौर परिषद के अधीन एशियन विकास बैंक द्वारा सहायतित योजना के कार्यो की स्वीकृति करने की सम्पूर्ण वित्तीय अधिकार प्रायोजित किये गये है।

7. कार्य निर्धारित मानक स्तर एवं गुणवत्ता पूर्ण होने के प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।

जानकारी हेतु प्रकरण निगम परिषद में रखा जावें।
आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

(ह) कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौसिंल
नगर पालिक निगम, इन्दौर

क्रमांक 21–24 दिनांक 19.4.12

प्रतिलिपीः–

1. आयुक्त।
2. रेसीडेन्ट आडिट।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर।
4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर।

की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

पंजीयन क्रमांक 04

<u>मेयर–इन–कौंसिल संकल्प क्रमांक 05 दिनांक 07–04–2012</u>

प्रोजेक्ट उदय के अंतर्गत पैकेज आई.एन.डी./डब्ल्यू.एस./24 – 'शहर में नवीन छः नई टंकियों को जोड़ने हेतु फीडरमेन तथा समीपस्थ जल वितरण व्यवस्था हेतु पाईप लाईन बिछाने के कार्य करने के संबंध में आयुक्त के पत्र क्र. 1327 दिनांक 05.04.2012 पर प्रभारी जलकार्य विभाग की राय दिनांक 05–04–2012 पर विचार किया गया।

2. आयुक्त के पत्र में उल्लेखित अनुसार सदर कार्य हेतु निविदा के प्रथम आंमत्रण में कुल 05 फर्मो द्वारा ऑफ लाईन तथा 01 फर्म द्वारा ऑन–लाईन भाग लिया गया। ए.डी.बी. के फैक्स दि. 09.03.2012 एवं परियोजना संचालक के पत्र क्र. 690 दिनांक 13.03.2012 से 04 फर्मो को रिसपान्सिव घोषित किया गया। उक्त परिपालन में न्यूनतम निविदाकार मैसर्स सेन्ट्रल इंडिया इंजीनियरिंग, नागपुर द्वारा निविदा प्रोविजनल सम (रू. 10.00 लाख) सहित राशि रू. 7,63,34,549.00 (रूपये सात करोड़ त्रेसठ लाख चौतीस हजार पाच सौ उन्नचास मात्र) की दर प्रस्तुत की गई। इस प्रकरण का प्राथमिक परीक्षण परियोजना संचालक, प्रोजेक्ट–उदय, भोपाल स्तर पर किया गया तथा नियमानुसार उपयुक्त पाया गया।

3. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु निविदाकार मैसर्स सेन्ट्रल इंडिया इंजीनियरिंग, नागपुर द्वारा निविदा प्रोविजनल सम (रू. 10.00 लाख) सहित राशि रू. 7,63,34,549.00 (सात करोड़ त्रेसठ लाख चौतीस हजार पाच सो उन्नचास रूपये मात्र) की दर को स्वीकृत करते हुए वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जाती है। आयुक्त नगर पालिक निगम को अनुबंध संपादित कर योग्य कार्यवाही करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

4. म.प्र. शासन के असाधारण राजपत्र दिनांक 16 दिसम्बर 2005 द्वारा महापौर परिषद के अधीन एशियन विकास बैंक द्वारा सहायतित योजना के कार्यो की स्वीकृति करने की सम्पूर्ण वित्तिय अधिकार प्रायोजित किये गये है।

5. कार्य निर्धारित मानक स्तर एवं गुणवत्ता पूर्ण होने के प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।

जानकारी हेतु प्रकरण निगम परिषद में रखा जावें।
आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

(ह) कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौसिंल
नगर पालिक निगम, इन्दौर

क्रमांक 25–28 दिनांक 19.4.12

प्रतिलिपीः–

1. आयुक्त।
2. रेसीडेन्ट आडिट।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर।
4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर।

की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

पंजीयन क्रमांक 05

<u>मेयर–इन–कौंसिल संकल्प क्रमांक 06 दिनांक 07–04–2012</u>

प्रोजेक्ट उदय के अंतर्गत पैकेज आई.एन.डी./डब्ल्यु.एस./23 लाट–3 – 'शहर में बिजलपुर एवं नरवल क्षेत्र में टंकियों का निर्माण कम्पाउण्डवाल सहित कार्य करने के संबंध में आयुक्त के पत्र क्र. 1323 दिनांक 05.04.2012 पर प्रभारी जलकार्य विभाग की राय दिनांक 05–04–2012 पर विचार किया गया।

2. आयुक्त के पत्र में उल्लेखित अनुसार सदर कार्य हेतु निविदा के प्रथम आंमत्रण में कुल 4 फर्मो द्वारा ऑफ लाईन भागच लिया गया। उक्त परिपालन में न्यूनतम निविदाकार मैसर्स ओ.पी. गुप्ता कन्सट्रक्शन कं.लि., आगरा द्वारा निविदा प्रोविजनल सम (रू. 4.00 लाख) सहित राशि रू. 3,39,71,300.00 (रूपये तीन करोड़ उन्तालीस लाख इकहत्तर हजार तीन सौ मात्र) की दर प्रस्तुत की गई। इस प्रकरण का प्राथमिक परीक्षण परियोजना संचालक, प्रोजेक्ट–उदय, भोपाल स्तर पर किया गया तथा नियमानुसार उपयुक्त पाया गया।

3. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु न्युनतम निविदाकार मैसर्स ओ.पी. गुप्ता कन्सट्रक्शन कं.लि., आगरा द्वारा निविदा प्रोविजनल सम (रू. 4.00 लाख) सहित राशि रू. 3,39,71,300.00 (तीन करोड़ उन्चालीस लाख इकहत्तर हजार तीन सो रूपये मात्र) की न्युनतम दर को स्वीकृत करते हुए वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जाती है। आयुक्त नगर पालिक निगम को अनुबंध संपादित कर योग्य कार्यवाही करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

4. म.प्र. शासन के असाधारण राजपत्र दिनांक 16 दिसम्बर 2005 द्वारा महापौर परिषद के अधीन एशियन विकास बैंक द्वारा सहायतित योजना के कार्यो की स्वीकृति करने की सम्पूर्ण वित्तिय अधिकार प्रायोजित किये गये है।

5. कार्य निर्धारित मानक स्तर एवं गुणवत्ता पूर्ण होने के प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।

जानकारी हेतु प्रकरण निगम परिषद में रखा जावें।
आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

(ह) कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौसिंल
नगर पालिक निगम, इन्दौर

क्रमांक 29–32 दिनांक 19.4.12

प्रतिलिपीः–

1. आयुक्त।
2. रेसीडेन्ट आडिट।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर।
4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर।

की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

पंजीयन क्रंमाक 06

मेयर–इन कौसिंल संकल्प क्रमांक 07 दिनांक 07–04–2012

इन्दौर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित नर्मदा परियोजना की 300 से 750 एम.एम. व्यास तक पीएससी/सी.आय./डी.आय./एम.एस एवं अन्य ट्रंकमेन/डिस्ट्रीब्यूशन के रख रखाव अन्तर्गत लीकेज सुधार कार्य/पाईप बदलने के कार्य तथा सभी साईजो के पाइपों के इंटरकनेक्शन कराने के कार्य की वार्षिक दरों की स्वीकृति के संबंध में आयुक्त का पत्र क्र. 1861 दिनांक 05–04–2012 पर जलकार्य विभाग की राय दिनांक 05–04–12 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरांत आयुक्त के पत्र में दर्शायी स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य की वार्षिक दर निर्धारण हेतु दिनांक 20–03–2012 को प्राप्त 04 निविदाओं में विभिन्न कार्यो हेतु अनुलग्न सूची में उल्लेखित अनुसार न्युनतम प्राप्त दरों (वार्षिक दर) पर कार्य कराने की स्वीकृति निगम परिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद में से होगा।

3. निविदा की शर्तानुसार स्वीकृत वार्षिक दरों में वर्षभर विभाग में पंजीकृत एवं भविष्य में पंजीकृत होने वाले ठेकेदारों/फर्म से कार्य संपादित कराया जा सकेगा।

4. यह स्वीकृत दरे आगामी वार्षिक दरों की स्वीकृति होने तक लागू रहेगी।

5. कार्य एवं उपयोग में लाई गई सामग्री निर्धारित मानक स्तर एवं गुणवत्ता पूर्ण होने के प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावें।

पुष्टि हेतु प्रकरण निगम परिषद के समक्ष रख जावें।
आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

(ह) कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौसिंल
नगर पालिक निगम, इन्दौर

क्रमांक 09–12 दिनांक 13.4.12

प्रतिलिपीः–

1. आयुक्त।
2. रेसीडेन्ट आडिट।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर।
4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर।

की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

पंजीयन क्रमांक

मेयर–इन कौसिंल संकल्प क्रमांक 08 दिनांक 07–04–2012

ग्रेविटीमेन 1200 एम.एम. व्यास की ग्रेविटीमेन लाइन में चेनेज क्र. 0.00 से 48.00 कि.मी. बी. पी. टैंक से इन्दौर तक लीकेज सुधार एवं पाइप बदलने का कार्य की वार्षिक दर के संबंध में आयुक्त का पत्र क्र. 1860 दिनांक 05–04–2012 पर जलकार्य विभाग की राय दिनांक 05–04–12 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरांत आयुक्त के पत्र में दर्शायी स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य की वार्षिक दर निर्धारण हेतु दिनांक 20–03–2012 को प्राप्त 05 निविदाओं में विभिन्न कार्यो हेतु अनुलग्न सूची में उल्लेखित अनुसार न्युनतम प्राप्त दरों (वार्षिक दर) पर कार्य कराने की स्वीकृति निगम परिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद में से होगा।

3. निविदा की शर्तानुसार स्वीकृत वार्षिक दरों में वर्षभर विभाग में पंजीकृत एवं भविष्य में पंजीकृत होने वाले ठेकेदारों/फर्म से कार्य संपादित कराया जा सकेगा।

4. यह स्वीकृत दरे आगामी वार्षिक दरों की स्वीकृति होने तक लागू रहेगी।

5. मूल निविदा में पाइप बदलने के कार्य में एम.एस. पाइप में अंदर की वेल्डिंग हेतु जो उपर मेनहाल काटकर वेल्डिंग किया जाता है, वह आयटम सिस्टम की तकनीकी त्रुटि के कारण छूट गया था, जिसे संशोधित शेड्यूल के अंदर पुनः सिस्टम में डाला गया, परन्तु जो दरें ठेकेदार/फर्मो द्वारा प्रस्तुत की गई है वह मूल निविदा के शेड्यूल में प्राप्त हुई है। अतः उक्त आयटम की दरें प्राप्त नही की जा सकी है। साथ ही यदि इस कार्य की दरें प्राप्त होती तो वह पूर्व स्वीकृत दरों से लगभग 10 प्रतिशत अधिक होती। उपरोक्त परिस्थिति को देखते हुए इस कार्य हेतु पूर्व स्वीकृत दर पर जब तक नवीन दरें प्राप्त नही होती है तब तक कार्य कराया जावें।

6. कार्य एवं उपयोग में लाई गई सामग्री निर्धारित मानक स्तर एवं गुणवत्ता पूर्ण होने के प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावें।

पुष्टि हेतु प्रकरण निगम परिषद के समक्ष रख जावें।
आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

(ह.) कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौसिंल
नगर पालिक निगम, इन्दौर

क्रमांक 13–16 दिनांक 13.4.12

प्रतिलिपीः–

1. आयुक्त।
2. रेसीडेन्ट आडिट।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर।
4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर।

की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर